संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755-2550294, Fax-0755-2550294
Email:- mayank@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक–3015 A/EoDB/2017 भोपाल, दिनांक 31.10.2017

प्रति,

1. आयुक्त,
   नगर पालिक निगम (समस्त)
   मध्यप्रदेश

2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगरपालिका परिषद / नगर परिषद (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषय:–Ease of Doing Business के अन्तर्गत भवन पूर्णता प्रमाण पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:– मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2017.

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित अध्यादेश द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 301 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियिम, 1961 की धारा 191 में संशोधन करके वास्तुविद तथा संरचना इंजीनियर को भवन के लिये पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने हेतु सशक्त किया गया है।

2. Ease of Doing Business के अन्तर्गत भवन पूर्णता प्रमाण पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने की समय सीमा 7 दिवस निर्धारित की गयी है।

3. अतः निर्देशानुसार लेख है कि Ease of Doing Business के अन्तर्गत भवन के लिये पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा को निर्धारित समय सीमा 7 दिवस में जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

(विकास मिश्रा)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास

पृ. क्रमांक–3015-B/EoDB/2017 भोपाल, दिनांक 31.10.2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक, उद्योग तथा रोजगार,
2. एम.डी. ट्रायफेक,
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (समस्त),
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास